अनुदान संख्या 62 - विधि और न्याय
GRANT No. 62-LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	672,17,00	940,71,00	854,79,33	-85,91,67
पूरक	Supplementary	268,54,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				72,35,26
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted -		15,02,00	..	-15,02,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,02,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹8591.67 लाख) अगस्त, 2010, नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹26854.00 लाख के पूरक अनुदानों का 32 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹8591.67 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary grants of ₹26854.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय- सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	5980.00	7268.55	6871.03	-397.52
पू.	S.	128.00			
पु.	R.	1160.55			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	21180.00			
पू.	S.	226.00	19203.74	18752.99	-450.75
पु.	R.	-2202.26			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	15169.00			
पू.	S.	26500.00	33312.95	33159.88	-153.07
पु.	R.	-8356.05			
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय तथा व्यय पर करों	Collection of Taxes on				
का संग्रहण	Income and Expenditure				
मू.	O.	4156.00			
			4410.69	4359.43	-51.26
पु.	R.	254.69			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2800.00			
			..	..	..
पु.	R.	-2800.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to				
अनुदान	State Governments				
मू.	O.	17200.00			
			21250.88	20990.29	-260.59
पु.	R.	4050.88			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	Union Territory Governments				
पु.	R.	600.00	600.00	600.00	..

(I) ₹2833.50 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2700.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552"- "न्याय प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹2833.50 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹2700.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"-"Administration of Justice" – under the following heads:-

(का) "न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान"- ₹1500.00 लाख; और

(A) "Grants for Infrastructural Facilities for Judiciary"- ₹1500.00 lakhs; and

(खा) "जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण"- ₹1200.00 लाख ।

(B) "Computerization of District and Subordinate Courts"- ₹1200.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2015" remained unutilised under the following heads to the extent of as shown against each:-

(का) "मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाना - राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति" - ₹1000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹15000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹16000.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण ₹2960.19 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Issue of Photo Identity Cards to voters-Reimbursement to State Governments"- the original provision of ₹1000.00 lakhs was augmented to ₹16000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2960.19 lakhs - due to non-receipt of audit certificates from the States/Union Territories.

(खा) "अन्य व्यय - इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों पर व्यय" - ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹11500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11501.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो मत इकाई की लागत में कमी आने के कारण ₹205.35 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Other Expenditure – Expenditure on Electronic Voting Machines"- the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹11501.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹205.35 lakhs - due to reduction in cost of the ballot unit.

(III) मुख्य शीर्ष "2014" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(III) Under Major Head "2014" – savings occurred under the following heads:-

(का) "विधि सलाहकार और परामर्शदाता - विधायी कार्य विभाग" - ₹184.70 लाख की बचत (₹1879.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी परामर्शदाताओं से कम दावे प्राप्त होने और कम घरेलू दौरे किए जाने के कारण हुई।

(A) "Legal Advisers and Counsels – Department of Legal Affairs"- saving of ₹184.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1879.00 lakhs) was due to receipt of less claims from government counsels and less domestic tours undertaken.

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी" - ₹328.00 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गारंटी निकाय से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय विधायी सेवा प्राधिकरण" - ₹180.99 लाख की बचत (₹2300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राधिकरण को उनके उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(ग) "न्यायिक सुधार और निर्धारण स्थिति का अध्ययन"- ₹223.04 लाख की बचत (₹243.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने और कम बैठकें किए जाने के कारण हुई।

(घ) "ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता" - ₹3155.00 की बचत (₹3900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(B) "Other Expenditure"-

(a) "National Judicial Academy" – saving of ₹328.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the grantee body.

(b) "National Legal Service Authority (NALSA)"- saving of ₹180.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to release of less funds to Authority based on their utilisation certificates.

(c) "Study of Judicial Reforms and Assessment Status"- saving of ₹223.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹243.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards administrative expenses, less tours undertaken and holding of less meetings.

(d) "Assistance to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas"- saving of ₹3155.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to non-receipt of

में) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "निर्वाचन अधिकारी - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति" - ₹887.14 लाख की बचत (₹2956.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(खा) "निर्वाचक नामावली तैयार करना और उसका मुद्रण - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति" -₹1426.32 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रभार - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति" - ₹2904.86 लाख की बचत (₹7886.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - न्याय प्रशासन - सिविल और सत्र न्यायालय - फास्ट ट्रैक कोर्ट" के अंतर्गत ₹184.38 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को उनके उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹157.63 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक लेकिन ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹795.83 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

utilization certificates from the States and Union Territories.

(IV) Under Major Head "2015" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Electoral Officers - Reimbursement to State/Union Territory Governments" – saving of ₹887.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 2956.00 lakhs);

(B) "Preparation and Printing of Electoral Rolls – Reimbursement to State/Union Territory Governments"- saving of ₹1426.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(C) "Charges for conduct of Election for Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies when held Simultaneously– Reimbursement to State/Union Territory Governments" – saving of ₹2904.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7886.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of audit certificates from the States/Union Territories.

(V) Under Major Head "3601" – "Non Plan Grants – Administration of Justice - Civil and Session Courts - Fast Track Courts"- saving of ₹184.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to release of less funds to States based on their utilisation certificates.

(VI) Under two heads savings of ₹157.63 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 22 percent and 33 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹795.83 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - विधायी कार्य विभाग" - ₹395.83 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹221.82 लाख था।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Legislative Department"- ₹395.83 lakhs. Actual excess, however, was ₹221.82 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2014" - "न्याय आयुक्त (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान" - ₹400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹399.00 लाख था।

(B) Major Head "2014" – "Judicial Commissioner (UTs without Legislature) – Grants for infrastructural facilities for Judiciary" – ₹400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹399.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" -

(A) Major Head "2052" –

(क) "सचिवालय" -

(a) "Secretariat" -

(i) "विधायी कार्य विभाग" - ₹364.11 लाख का अधिक व्यय (₹127.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2674.96 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, नवीकरण संबंधी कार्य और 'अधिवक्ता प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण योजना' नाम की नई स्कीम लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(i) "Department of Legal Affairs"- excess of ₹364.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2674.96 lakhs including supplementary grant of ₹127.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary, renovation work and implementation of new scheme namely 'Adhivakta Protshahan Awam Prashikshan Yojana'.

(ii) "न्याय विभाग" - ₹106.16 लाख का अधिक व्यय (₹192.96 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायाधीश जांच समिति, चिकित्सा उपचार और वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "Department of Justice"- excess of ₹106.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 192.96 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Judge's Enquiry Committee, medical treatment and Salary.

(ख) "अन्य कार्यालय - एकीकृत मुकादमा अभिकरण"- ₹165.67 लाख का अधिक व्यय (₹1363.42 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और विधायी कार्य विभाग द्वारा किराए पर ली गई हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग का किराया देने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Other Offices – Unified Litigation Agency" - excess of ₹165.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1363.42 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary and rent for Hindustan Times Building hired by Department of Legal Affairs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2014" - "अन्य व्यय - जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण" - ₹1076.48 लाख का अधिक व्यय (₹10700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों

(B) Major Head "2014" - "Other Expenditure - Computerization of District and sub-ordinate Courts"- excess of ₹ 1076.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 10700.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from the Major Head

पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

"2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष "2020" - "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण" - ₹208.43 लाख का अधिक व्यय (₹4151.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "2020" – "Direction and Administration – Income Tax Appellate Tribunal"- excess of ₹208.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4151.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and allowances.

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "योजनेतर अनुदान - न्याय प्रशासन (विशेष न्यायालय)- परिवार न्यायालय" - ₹240.00 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्राप्त मांग मंजूर किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं संबंधी अनुदान" - ₹3734.67 लाख का अधिक व्यय (₹9500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र ओर सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त मांग स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) Major Head "3601"-

(a) "Non Plan Grants- Administration of Justice (Special Courts) – Family Courts"- excess of ₹240.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear demand received from the State Governments.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Administration of Justice – Other Grants – Grant for Infrastructural Facilities for Judiciary"- excess of ₹3734.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds to clear demand received from the State/Union Territory Governments.

(ङ) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान- न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं संबंधी अनुदान"- ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(E) Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Administration of Justice – Other Grants - Grants for Infrastructural facilities for Judiciary" - excess of ₹600.00 lakhs (against nil provision) was due to requirement of additional funds for improving infrastructural facilities for Judiciary.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	1502.00	..	..	..
पु.	R.	-1502.00			

(I) ₹1502.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1500.00 लाख अकेले "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवन का निर्माण" के अंतर्गत व्यय वित्त समिति और स्थायी वित्त समिति से प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1502.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹1500.00 lakhs alone accounted for under "Direction and Administration – Acquisition of Land and Construction of Building for Income Tax Appellate Tribunal" – due to non-receipt of approval of proposal from Expenditure Finance Committee and Standing Finance Committee.